क्रम-संख्या-598

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 26 सितम्बर, 1983

आश्विन 4, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2740/सत्रह-वि-1-1(क)-25-1983

लखनऊ, 26 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 25 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 23 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय—दो

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9—क में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में "अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में जिसके सुसगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं" के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिये 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

धारा 11-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11—क में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम जनगणना' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1 83 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल-अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम पूर्वगत जनगणना में जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिये 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

धारा 31 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम पूर्वगत जनगणना जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिये 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

अध्याय—चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, सन् 1914 की धारा 5-क का संशोधन

6—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 5-क में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

7—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन और चार में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उन अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

No. 2740/XVII-V-1—1(Ka) 25-1983

Dated Lucknow, September 26, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 25, 1983.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (SECOND AMENDMENT) Act, 1983

[U. P. Act no. 25 of 1983]

(As Passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the U.P. Municipalities Act, 1916, *the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam*, 1959 *and the U. P. Town Areas Act*, 1914.

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 23, 1983.

Chapter II

Amendment of the U. P. Municipalities Act, 1916

Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 2 of 1916.

2. In section 9-A of the U. P. Municipalities Act, 1916, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that the reference in this sub-section to the 'last preceding census of which relevant figures have been published' shall, for a period of one year from the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1983, be construed as a reference to the 1971 census and any reference to the population shall be a reference to the population on the basis of that census."

Amendment of section 11.

3. In section 11-A of the principal Act, in sub-section (2), the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided that the reference in this sub-section to the 'last census' shall, for a period of one year from the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1983, be construed as a reference to the 1971 census and any reference to the population shall be a reference to the population on the basis of that census."

Chapter III

Amendment of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 2 of 1959.

4. In section 7 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that the reference in this sub-section to the 'last preceding census of which the relevant figures have been published' shall, for a period of one year from the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1983, be construed as a reference to the 1971 census and any reference to the population shall be a reference to the population on the basis of that census."

Amendment of section 31.

5. In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided that the reference in this sub-section to the 'last preceding census of which the relevant figures have been published' shall, for a period of one year from the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1983, be construed as a reference to the 1971 census and any reference to the population shall be a reference to the population on the basis of that census."

CHAPTER IV

Amendment of the U. P. Town Areas Act, 1914

Amendment of section 5-A of U. P. Act no. 2 of 1914.

6. In section 5-A of the U. P. Town Areas Act, 1914, in sub-section (1), *after* existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that the reference in the sub-section to the 'last preceding census of which the relevant figures have been published' shall, for a period of one year from the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1983, be construed as a reference to the 1971 census and any reference to the population shall be a reference to the population on the basis of that census."

CHAPTER V

Miscellaneous

Repeal and saving.

7. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts referred to in Chapters II, III and IV as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order
G. B. SINGH,
Sachiv.

पो0एस0यू0पो0--ए0पी0 238 सा0 (विधा0)--(2323)--1983--700 (मेक0)